

भारत सरकार
कोयला मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *187

जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

कोयले का गैसीकरण

*187. श्री बिद्युत बरन महतो:

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की भावी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2030 तक कोयले के गैसीकरण में वृद्धि करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में कोयले के गैसीकरण की वित्तीय और तकनीकी व्यवहार्यता का अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) हरित भविष्य के प्रति हमारी वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने हेतु कोयले के गैसीकरण से वर्ष 2030 तक आयात को कम करने, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने में किस प्रकार सहायता मिलेगी;

(ङ) क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और निजी क्षेत्र, दोनों के लिए कोयले की गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने कोयला गैसीकरण योजना के लिए कंपनियों के चयन की प्रक्रिया/मानदण्ड को अंतिम रूप दे दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'कोयले का गैसीकरण' के संबंध में श्री बिद्युत बरन महतो और श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे द्वारा दिनांक 02.08.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *187 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : सरकार ने वर्ष 2030 तक 100 मि.ट. कोयले के गैसीकरण और द्रवीकरण को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज तैयार किया है। उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदम निम्नानुसार हैं:-

(i) नीतिगत पहलें - कोयला गैसीकरण संयंत्रों के लिए उचित मूल्य पर कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, गैसीकरण उद्देश्य में उपयोग किए जाने वाले कोयले के लिए भावी सभी वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक नीलामियों के लिए राजस्व शेयर में 50% छूट का प्रावधान किया गया है, बशर्ते गैसीकरण के लिए उपयोग की जाने वाली कोयले की मात्रा कुल कोयला उत्पादन का कम से कम 10% हो। इसके अलावा, नए कोयला गैसीकरण संयंत्रों के लिए कोयला उपलब्ध कराने हेतु एनआरएस क्षेत्र के अंतर्गत अलग नीलामी विंडो बनाई गई है।

(ii) परियोजनाओं की पहचान - गैसीकरण परियोजनाओं की वित्तीय और तकनीकी व्यवहार्यता स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की गई थी। तदनुसार, कुछ गैसीकरण परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना बनाई गई थी और उनकी प्रचालन सफलता के आधार पर, इस क्षेत्र में विस्तार के बाद के चरणों की योजना बनाई जाएगी। इस कार्यनीति के अनुरूप कई कोयला गैसीकरण परियोजनाओं का कार्यान्वयन शुरू किया गया है। जिनकी स्थिति निम्नानुसार है:

I. तालचेर (ओडिशा) में कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र: तालचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड (सीआईएल, गेल, आरसीएफ और एफसीआईएल का संयुक्त उद्यम) एक एकीकृत कोयला गैसीकरण आधारित यूरिया संयंत्र की स्थापना में संलग्न है, जिसमें निकट के तालचेर कोलफील्ड्स से उच्च राख वाले कोयले को पेट-कोक के साथ मिश्रित करके इसका उपयोग 1.27 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष (एमएमटीपीए) नीम-कोटेड यूरिया का उत्पादन करने के लिए किया जाएगा। वर्तमान में, परियोजना निर्माणाधीन चरण में है।

II. अन्य पहलें: ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल), महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) और एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) में कोयला खानों के पिट हेड पर कोयला गैसीकरण परियोजनाएं स्थापित करने के लिए पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई है। डब्ल्यूसीएल और एनएलसीआईएल परियोजना के लिए संयंत्र के निर्माण और प्रचालन हेतु एजेंसी के चयन के लिए निविदाएं मंगाई गई हैं।

(ग) : किसी भी परियोजना के लिए इसके कार्यान्वयन से पहले वित्तीय और तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन किया जाता है। तालचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड, जो वर्तमान में निर्माण स्तर पर है, के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया गया। इसके साथ-साथ डब्ल्यूसीएल में कोयला-से-अमोनियम नाइट्रेट परियोजना तथा एनएलसीआईएल में लिग्नाइट से मेथनॉल परियोजना, जो निविदा चरण में हैं, के लिए भी व्यवहार्यता अध्ययन किया गया। इसके अलावा, ईसीएल में कोयला गैसीकरण आधारित कोयला-से-एसएनजी परियोजना और एमसीएल में कोयला-से-अमोनियम नाइट्रेट परियोजना के लिए दो पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन किए गए हैं।

(घ) : कोयला गैसीकरण से निम्नलिखित तरीके से सहायता मिलेगी:

(i) टीएफएल द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन शुरू करने से देश में यूरिया के आयात में कमी आने की आशा है। इसी तरह कोयला गैसीकरण आधारित सिंथेटिक प्राकृतिक गैस और अमोनियम नाइट्रेट के उत्पादन के माध्यम से भी प्राकृतिक गैस आधारित रसायनों के आयात में कमी आने की आशा है।

(ii) कोयला गैसीकरण परियोजनाओं में रोजगार सृजन के मुद्दे पर यह आशा है कि ऐसे संयंत्रों की स्थापना से बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। प्रारंभिक अनुमानों से पता चलता है कि निर्माण और चालू किए जाने के दौरान दैनिक आधार पर औसतन प्रत्येक स्थल पर 4000-5000 श्रमशक्ति का सृजन होगा। इसके अलावा, प्रचालन के दौरान क्रमशः प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कुल 800-1000 श्रमशक्ति को लगाया जाएगा।

(iii) ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के जलने की तुलना में सतही कोयला गैसीकरण संयंत्रों में रासायनिक फीडस्टॉक के रूप में वैकल्पिक उपयोग के कारण कार्बन फुटप्रिंट में कमी आने की आशा है। गैसीफायर में उत्पन्न सीओ₂ का पता लगाना और पृथक करना अथवा डाउनस्ट्रीम उत्पादों या रसायनों के उत्पादन में उपयोग करना आसान है।

(ड.) : जी, हाँ। कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करने हेतु कोयला मंत्रालय ने एक नीति तैयार की है जिसमें गैसीकरण उद्देश्य में उपयोग किए जाने वाले कोयले के लिए भावी सभी वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक नीलामियों के लिए राजस्व शेयर में 50% छूट का प्रावधान किया गया है बशर्ते गैसीकरण के लिए उपयोग की जाने वाली कोयले की मात्रा कुल कोयला उत्पादन का कम से कम 10% हो। इसके अलावा, नए कोयला गैसीकरण संयंत्रों के लिए कोयला उपलब्ध कराने हेतु गैर-विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत अलग नीलामी विंडो बनाई गई है।

(च) : कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने वाली स्कीम को सरकार द्वारा अभी अंतिम रूप दिया जाना है।